[2021] 1 एस. सी. आर. 525

उपेंद्र चौधरी

बनाम

बुलंदशहर विकास प्राधिकरण और अन्य।

(रिट याचिका (सिविल) संख्या 150/2021)

11 फरवरी, 2021

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ और एम. आर. शाह, न्यायमूर्तिगण]

भारत का संविधान-Art.32-इस संबंध में निर्देश मांगे गए

एक अचल संपत्ति परियोजना यू/Art.32-आयोजितः याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई राहत अदालत को यह निर्धारित करने के लिए एक न्यायिक प्रक्रिया में शामिल करेगी कि क्या (i) सभी समझौतों को रद्द कर दिया जाना चाहिए; (ii) क्या घर खरीदारों द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान किया जाना चाहिए।

धनवापसी; या वैकल्पिक (iii) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक निर्देश आवश्यक हैं कि परियोजना और परिसर का निर्माण किया गया है। एक उचित समय के भीतर सौंपा जाता है-रिट याचिका यू/आर्ट। 32 एक एकल घर खरीदार द्वारा घर खरीदारों के पूरे वर्ग का प्रतिनिधित्व किए बिना दायर किया गया है-याचिका इस अंतर्निहित धारणा पर आगे बढ़ती है कि सभी खरीदारों का हित समान है-ऐसी धारणा बनाने का कोई आधार नहीं है-सभी खरीदार रद्द करने और प्रतिफल की वापसी की मांग नहीं कर सकते हैं।

इस पहलू से, याचिकाकर्ता प्राथमिक राहत की सहायता के लिए अन्य राहत की मांग करता है, जिसमें विकासकर्ता की परियोजनाओं को संभालने के उद्देश्य से सर्वोच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति का गठन शामिल है, जहां घर खरीदारों से धन लिया गया है-विशिष्ट वैधानिक प्रावधान हैं।

अभिनिर्धारण, जिनमें शामिल हैं: ((i) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 और इसके उत्तराधिकारी कानून; (ii) अचल संपत्ति (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016; और (iii) दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016-जहां तक आपराधिक जांच के उपचारों का संबंध है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के संदर्भ में पर्याप्त उपाय उपलब्ध हैं-अदालत के पास शिकायत की वास्तविकता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है जिसका याचिकाकर्ता द्वारा समर्थन किया गया है-हालाँकि, मुद्दा यह है कि क्या उसने कला का सहारा लिया है। 32 क्या सही उपाय है जब वैकल्पिक तौर-तरीके उपलब्ध हों और विशेष रूप से क्योंकि इस प्रकृति की याचिका में न्यायालय की भागीदारी में एक पर्यवेक्षण शामिल होगा जो न्यायिक समीक्षा के प्रांत के भीतर नहीं है-वैधानिक को देखते हुए

सिविल और आपराधिक कानून और प्रक्रिया दोनों के संदर्भ में ढांचा, यू/आर्ट के तहत एक याचिका का मनोरंजन करना। 32 अनुचित होगा इसलिए, याचिका यू/Art.32 अस्वीकार कर दी गई।

याचिका का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1. एक से अधिक कारणों से अनुच्छेद 32 के तहत याचिका पर विचार करना अनुचित होगा। वहाँ विशिष्ट हैं

2. इनमें से प्रत्येक वैधानिक अधिनियम संसद द्वारा एक विशिष्ट उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। 1986 के अधिनियम के साथ-साथ बाद के विधान में निम्नलिखित प्रावधान हैं - प्रतिनिधि उपभोक्ता शिकायतें। परिणामस्वरूप एक या अधिक घर खरीदार अचल संपत्ति के खरीदारों के एक पूरे वर्ग के लिए एक आम शिकायत का प्रतिनिधित्व करने के लिए राहत की तलाश कर सकते हैं। इसी तरह रेरा में अचल संपत्ति के खरीदारों की शिकायतों से निपटने के लिए विशिष्ट प्रावधान और उपचार शामिल हैं। आई. बी. सी. के प्रावधानों ने विशेष रूप से उन कठिनाइयों पर ध्यान दिया है जिनका सामना घर खरीदारों को समाधान प्रदान करके करना पड़ता है।

कानून। [पैरा 7] [532-ए-सी]

3. इस प्रकृति की याचिका का मनोरंजन करने में शामिल होगा

वस्तुतः एक भवन परियोजना के दैनिक पर्यवेक्षण को पूरा करने में न्यायालय। इस न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त करने से समस्या का समाधान नहीं होगा क्योंकि न्यायालय को फिर भी अनुच्छेद 32 के तहत याचिका में मांगी गई राहत के लिए समिति की निगरानी करनी होगी। जहाँ तक आपराधिक जाँच के उपायों का संबंध है, इस न्यायालय के लिए तथ्यों के वर्तमान समूह में अनुच्छेद 32 के तहत सीधे याचिका पर विचार नहीं करने का कारण है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के संदर्भ में पर्याप्त उपचार उपलब्ध हैं। जिन वैधानिक प्रक्रियाओं का प्रतिपादन किया गया है, उन्हें लागू करना होगा। कानून में शिकायत दर्ज करने और कानून के अनुसार जांच करने के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। उस उपेंद्र चौधरी v में सक्षम न्यायालयों द्वारा उचित चरणों में न्यायिक हस्तक्षेप प्रदान किया जाता है।

इसे एक या कुछ चयनित परियोजनाओं तक सीमित नहीं रखा जा सकता है। न्यायिक समय एक बहुमूल्य संसाधन है जिसकी उत्साहपूर्वक रक्षा करने की आवश्यकता है। इस न्यायालय को हमेशा अवसर लागत का ध्यान रखना होगा किसी याचिका को स्वीकार करने और हस्तक्षेप करने के लिए अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने में शामिल हैं, समय और संसाधनों को अन्य मामलों से दूर करने के मामले में जहां हस्तक्षेप अधिक उपयुक्त और आवश्यक होगा। [पैरा 8] [532-सी-एच; 533-ए-बी]

शेली लाल बनाम भारत संघ, लिखित याचिका (सिविल) सं।

1390 2020-पर भरोसा किया।

पवन कुमार कुशवाहा और अन्य। बनाम लखनऊ

विकास प्राधिकरण और अन्य। , 2020 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 1001; देवेंद्र द्विवेदी बनाम। भारत संघ

और ओआरएस। , 2020 की लिखित याचिका (आपराधिक) 272 संदर्भित किया गया।

एक्स्ट्रा-ऑर्डिनेरी ओरिजिनल ज्यूरिज़िशन: लिखें।

2021 की याचिका (सिविल) संख्या 150।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

मनोज वी. जॉर्ज, सुश्री शिल्पा लिजा जॉर्ज, सुश्री आकृति जय, पनमेई, सुश्री मंजू ई. जॉर्ज, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़ द्वारा दिया गया था

1. ये कार्यवाही संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक खरीदार द्वारा शुरू की गई है, जिसमें "सुशांत मेगापोलिस" नामक एक अचल संपत्ति परियोजना के संबंध में निर्देश मांगे गए हैं, जिसे सरकार द्वारा विकसित किया जा रहा है। पाँचवाँ, छठा और सातवां उत्तरदाता। अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को लागू करते हुए जो राहत मांगी गई है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, वे निम्नलिखित शर्तों में हैं:

" 9 .

..... मैंडमस के निर्देशन की प्रकृति में एक रिट

प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 के साथ सभी समझौतों को रद्द करने के लिए। 5,6 & 7 और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी परियोजनाएं जिनमें खरीदारों से पैसा लिया गया है, उनके पैसे वापस कर दिए गए हैं या उनका निर्माण किया गया है और उन्हें सौंप दिया गया है।

समय की एक उचित अवधि;
..... अदालत की नियुक्ति करने वाले मैंडमस की प्रकृति का एक रिट

ii.

प्राप्तकर्ता या इस माननीय न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में विभिन्न क्षेत्रों के अन्य उपयुक्त व्यक्तियों के साथ परियोजनाओं की निगरानी/संचालन के लिए एक समिति का गठन करें।

प्रत्यर्थी 6 और 7 जिसमें से धन लिया गया है

खरीदार;

..... आदेश का एक रिट, या एक संचालन करने के लिए आदेश या निर्देश

111 .

द्वारा शुरू की गई सभी परियोजनाओं के लिए विस्तृत फोरेंसिक ऑडिट

उत्तरदाता नं। 5,6 & 7 की प्रमुखता के तहत अपनी परियोजना में

" सुशांत मेगापोलिस ";

..... परमादेश या आदेश या निर्देश की प्रकृति में एक रिट

iv.

सी. बी. आई.-केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा प्रतिवादी नं. 1 उत्तरदाता सं. के अधिकारियों और निदेशकों के साथ। 5,6 & 7 क्योंकि राज्य एजेंसी मामले की जांच करने के अपने कर्तव्य में पूरी तरह से विफल रही है;

..... सभी जांच एजेंसियों को निर्देश देने का आदेश या निर्देश

वी.

जैसे कि गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय, प्रवर्तन निदेशालय और अन्य धन की हेराफेरी की जांच करने के लिए

प्रत्यर्थी सं। 5 , 6 & 7 .

यू. पी. एंड्राचौधरी वी. बुलंदशहर विकास प्राधिकरण [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

..... याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश

vi.

और इस माननीय न्यायालय के रूप में समान रूप से नियुक्त व्यक्ति मामले की परिस्थितियों में उपयुक्त और उचित समझा जा सकता है।

2. उपरोक्त उद्धरण इंगित करेगा कि जो प्राथमिक राहत मांगी गई है वह है (i) सभी समझौतों को रद्द करना; (ii) खरीदारों को धन की वापसी; और वैकल्पिक (iii) यह सुनिश्चित करना कि -

निर्माण किया जाता है और परिसर को उचित समय के भीतर सौंप दिया जाता है। उपरोक्त राहतों के संयोग से, याचिकाकर्ता वर्तमान मामले में विकासकर्ता की परियोजनाओं की निगरानी और प्रबंधन के लिए अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर इस न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति के गठन की मांग करता है। याचिकाकर्ता ने फोरेंसिक ऑडिट, सी. बी. आई. और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय और प्रवर्तन निदेशालय जैसे अन्य अधिकारियों द्वारा जांच की भी मांग की है।

3. याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री मनोज वी जॉर्ज ने प्रस्तुत किया कि विकासकर्ता की एक अन्य परियोजना में, जिसे लखनऊ में लागू किया जा रहा है, संविधान के अनुच्छेद 32 (पवन कुमार कुशवाहा और अन्य) के तहत एक याचिका पर नोटिस जारी किया गया था। v लखनऊ विकास प्राधिकरण और Ors.[1]) 20 नवंबर 2020 को इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा, जिसमें हम में से एक सदस्य था। उपरोक्त आधारों पर, यह प्रस्तुत किया गया है कि इस न्यायालय के लिए नोटिस जारी करना और अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका को पिछली कार्यवाही के साथ जोड़ना उचित होगा। 4. 7 जनवरी 2021 को, इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ [जिसमें हम में से एक सदस्य था] ने समान परिस्थितियों में अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका की स्थिरता पर विचार किया है। शेली लाल बनाम भारत संघ 2 में, इस न्यायालय ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। न्यायालय का आदेश नीचे दिया गया है:

आदेश

1. नोएडा में एक प्रस्तावित निर्माण परियोजना जो नहीं ली गई

ड्राइंग बोर्ड से बाहर निकलने से संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत पच्चीस खरीदारों द्वारा कार्यवाही को जन्म दिया है

वाणिज्यिक परिसर।

2.अनुच्छेद 32 के तहत अधिकार क्षेत्र को लागू करते हुए, याचिकाकर्ताओं ने

अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित दिशा-निर्देश मांगे गए:

1 2020 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 1001 2 2020 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 1390

उत्तरदाताओं की रक्षा के लिए एक रिट, आदेश या निर्देश

((i)

बड़े पैमाने पर ग्राहकों/खरीदारों के हित और निवेश

लोक हित;

((ख)

परियोजना के पुनरुद्धार के लिए एक रिट, आदेश या निर्देश विफल

जिसे याचिकाकर्ताओं द्वारा निवेश की गई राशि को 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ वापस किया जाए; और

((iii) न्यायालय की निगरानी में जांच। 3. याचिकाकर्ताओं द्वारा अपने वकील, श्री शिखिल सूरी के माध्यम से समर्थन किए गए कारण पर विचार करने के बाद, हमारा विचार है कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग वर्तमान तथ्यों में आवश्यक नहीं होगा।

मामला।

4. अनिवार्य रूप से, रिट याचिका में न्यायालय से निर्माण परियोजना में कदम रखने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है कि इसे विधिवत पूरा किया जाए। यह अनुच्छेद 32 के तहत न्यायालय के अधिकार और क्षमता से परे होगा। निर्माण परियोजना का प्रबंधन न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।

5. कानून के कई प्रावधान अचल संपत्ति के खरीदारों को वैधानिक अधिकार प्रदान करते हैं और उन्हें कानून में लागू करने योग्य उपायों के साथ निवेश करते हैं। इनमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016 और दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 शामिल हैं। संसद ने अचल संपत्ति के खरीदारों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक वैधानिक व्यवस्था लागू की है और ऐसे मंच बनाए हैं जिन्हें निर्णय लेने का अधिकार सौंपा गया है।

6. सार्वजनिक प्राधिकरण का निर्णय जिसे सार्वजनिक कर्तव्य सौंपा गया है, न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी है। लेकिन यह मान लेना बिल्कुल अलग परिकल्पना है कि निर्णय लेने का अधिकार लिया जाना चाहिए।

अदालत से। बाद वाला अस्वीकार्य है। यह होगा

इस न्यायालय के लिए किसी निर्माण परियोजना के उचित समापन की निगरानी करने का अधिकार क्षेत्र ग्रहण करना अनुचित है, विशेष रूप से वर्तमान मामले में प्रस्तुत तथ्यों में। यह अनिवार्य रूप से अदालत को परियोजना के दिन-प्रतिदिन के पर्यवेक्षण में आकर्षित करेगा, जिसमें वित्तपोषण, अनुमतियाँ और निष्पादन शामिल हैं-कुछ ऐसा जो न्यायिक समीक्षा और अदालत की क्षमता से परे है। न्यायालय को स्वयं को अपनी मूल क्षमताओं तक सीमित रखना चाहिए जो आवेदन के लिए उत्तरदायी विवादों के निर्णय में शामिल हैं।

कानूनी मानकों। नतीजतन, हम इसे याचिकाकर्ताओं के लिए खुला छोड़ देते हैं।

कानून में उपलब्ध उपायों को आगे बढ़ाने के लिए।

5. [एस. आई. सी. 7] रिट याचिका का निपटारा उपरोक्त स्वतंत्रता के अधीन किया जाता है।

6. [एस. आई. सी. 8] लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है। "

5. इस पर एक निश्चित दृष्टिकोण कि क्या यह उचित होगा

अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका पर विचार करने के लिए अदालत को उपरोक्त शर्तों में लिया गया है जिसमें तत्काल मामले में मांगी गई प्रार्थनाओं के समान प्रार्थना की गई है। उपरोक्त कारण वर्तमान

मामले के तथ्यों पर लागू होंगे। जिन राहतों को पहले निकाला गया है, वे यह निर्धारित करने में न्यायालय को एक न्यायिक प्रक्रिया में शामिल करेंगे कि क्या (i) सभी समझौते रद्द किया जाना चाहिए; (ii) क्या घर खरीदारों द्वारा भुगतान की गई राशि वापस की जानी चाहिए; या वैकल्पिक (iii) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक निर्देश आवश्यक हैं कि परियोजना का निर्माण किया गया है और परिसर उचित समय के भीतर सौंप दिया गया है। अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका एक एकल घर खरीदार द्वारा घर खरीदारों के पूरे वर्ग का प्रतिनिधित्व किए बिना दायर की गई है। याचिका अंतर्निहित पर आगे बढ़ती है

यह धारणा कि सभी खरीदारों का हित समान है। ऐसी धारणा बनाने का कोई आधार नहीं है। सभी खरीदार रद्द करने और प्रतिफल की वापसी की मांग नहीं कर सकते हैं। इस पहलू के अलावा, याचिकाकर्ता प्राथमिक राहत की सहायता के लिए अन्य राहत की मांग करता है, जिसमें विकासकर्ता की परियोजनाओं को संभालने के उद्देश्य से इस न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति का गठन शामिल है, जहां घर खरीदारों से धन लिया गया है।

6. 7 जनवरी 2021 को लिए गए पहले के दृष्टिकोण के बाद, हमारी यह सुविचारित राय है कि एक से अधिक कारणों से अनुच्छेद 32 के तहत याचिका पर विचार करना अनुचित होगा। इस क्षेत्र में विशिष्ट वैधानिक प्रावधान हैं, जिनमें शामिल हैं:

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 3 और इसके उत्तराधिकारी

((i)

कानून;

अचल संपत्ति (विनियमन और विकास) अधिनियम

((ख)

20164 ; और

दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016।

(iii)

3 " 1986 अधिनियम "

4 " रेरा "

अचल संपत्ति के खरीदारों की शिकायतों से निपटने के लिए। आई. बी. सी. के प्रावधानों ने विशेष रूप से उन कठिनाइयों पर ध्यान दिया है जो हैं - घर खरीदारों द्वारा समाधान प्रदान करके सामना करना पड़ता है

कानून।

8. इस प्रकार की याचिका का मनोरंजन करने में न्यायालय शामिल होगा

संबंधित, इस न्यायालय के लिए तथ्यों के वर्तमान सेट में अनुच्छेद 32 के तहत सीधे याचिका पर विचार नहीं करने का कारण है। पर्याप्त उपचार हैं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के संदर्भ में उपलब्ध है। जिन वैधानिक प्रक्रियाओं का प्रतिपादन किया गया है, उन्हें लागू करना होगा। कानून में शिकायत दर्ज करने और कानून के अनुसार जांच करने के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। उस संबंध में सक्षम न्यायालयों द्वारा उचित चरणों में न्यायिक हस्तक्षेप प्रदान किया जाता है। देवेंद्र द्विवेदी बनाम। भारत संघ और इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ (जिसमें हममें से एक सदस्य था) ने यह अभिनिर्धारित किया कि यह निर्धारित करना कि क्या किसी विशेष मामले में अनुच्छेद 32 के तहत अधिकार क्षेत्र का सहारा लिया जाना न्यायिक विवेकाधिकार के सुनियोजित प्रयोग का मामला है। " यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि इस उपाय का उपयोग इस न्यायालय में याचिकाओं को भरने के लिए एक चाल के रूप में नहीं किया जा सकता है जिन्हें उपयुक्त वैधानिक ढांचे के अनुसार स्थापित सक्षम अधिकारियों के समक्ष दायर किया जाना चाहिए। वैधानिक ढांचे को ध्यान में रखते हुए, नागरिक और आपराधिक कानून और प्रक्रिया दोनों के संदर्भ में, हमारा विचार है कि अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका पर विचार करना अनुचित होगा। न्यायालय के पास शिकायत की वास्तविकता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है जिसका याचिकाकर्ता द्वारा समर्थन किया गया है। हालाँकि, मुद्दा यह है कि क्या अनुच्छेद 32 का उनका सहारा सही उपाय है जब

वैकल्पिक तौर-तरीके उपलब्ध हैं और विशेष रूप से जुड़ाव के बाद से

इस प्रकार की याचिका में न्यायालय का पर्यवेक्षण शामिल होगा जो 6 2020 की लिखित याचिका (आपराधिक) 272 उत्तर-न्यायिक जांच बनाम।

न्यायिक समीक्षा के प्रांत के अंतर्गत नहीं आता है। देश भर में अचल संपत्ति परियोजनाओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। का हस्तक्षेप न्यायालय एक या कुछ चयनित परियोजनाओं तक ही सीमित नहीं रह सकता है। न्यायिक समय एक बहुमूल्य संसाधन है जिसकी उत्साहपूर्वक रक्षा करने की आवश्यकता है। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारे काम करने में कितना अवसर खर्च आता है।

किसी याचिका को स्वीकार करने और समय और संसाधनों को अन्य मामलों से दूर करने के संदर्भ में हस्तक्षेप करने का विवेकाधिकार जहां हमारा हस्तक्षेप अधिक उपयुक्त और आवश्यक होगा। अतीत में कुछ मामलों में, इस अदालत ने घर खरीदारों की ओर से हस्तक्षेप किया है। इनमें शामिल हैं:

आम्रपाली समूह की परियोजनाएं (बिक्रम चटर्जी बनाम यूनियन)

((I) भारत का) और

((ख) यूनिटेक मामला (भूपिंदर सिंह बनाम यूनिटेक लिमिटेड 3)।

वर्तमान निर्णय में निहित कुछ भी उन कार्यवाही या इसी तरह के मामलों को प्रभावित नहीं करेगा जिनकी निगरानी की गई है। वर्तमान मामले में, यह मानने का कोई कारण नहीं है कि याचिकाकर्ता हस्तक्षेप को अस्वीकार करने के लिए पहले बताए गए अन्य कारणों के अलावा एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए, एक सुविचारित दृष्टिकोण पर और उन कारणों के लिए जो हमने इंगित किए हैं ऊपर, हम अनुच्छेद 32 के तहत याचिका पर विचार करने से इनकार करते हैं। हालाँकि, 7 जनवरी 2021 के आदेश के संदर्भ में, हम स्पष्ट करते हैं कि यह याचिकाकर्ता के उन उपायों का समर्थन करने के रास्ते में नहीं आएगा जो प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों के तहत उसके लिए उपलब्ध हैं।

9. उपरोक्त स्पष्टीकरण के अधीन, याचिका कायम रहेगी।

निकाल दिया।

याचिका का निपटारा किया गया।